ऑन लाईन नं. RCMS 2024/51

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 14/2024

1. सतनाम सिंह पुत्र लखा सिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. उप तहसील (राजस्व) हिन्दुमलकोट

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उप–तहसीलदार हिन्दुमलकोट का मुकदमा प्रकरण संख्या 135/2024 अनवानी स्टेट बनाम महेन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 20.03.2024 जिसकी रूह से रिसीवरशुदा रकबा की कम बोली की गयी है बमुराद मनसुख है।

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

:: आदेश :: **दिनांक :–14.10.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 1 जे बड़ा मुरब्बा नम्बर 31 व 34 में 4.5 बीघा रकबा अपीलांट का खरीद किया हुआ है। सहायक जिलाधीश द्वारा रकबा रिसीवर किया हुआ है। इस वर्ष दिनांक 20.03.2024 को रकबा निलाम किया गया था जिस पर अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस के ही रकबा निलाम कर दिया जबकि इस रकबा की बोली 49500/–रूपये की गयी है जिसमें अपीलांट का मुरब्बा नम्बर 34 का 4.5 बीघा रकबा था जिसमें सरसों की 3.5 बीघा रकबा काश्त की हुई थी, अगर अपीलांट को बुलाया जाता तो अपीलांट को इस रकबा की अधिक बोली हो सकती थी जबकि नियम के तहत रकबा की निलामी अप्रेल में होनी चाहिए थी मगर जान–बूझकर 20.03.2024 को निलामी की है जिसके खिलाफ अपील पेश कर रहा है जो निम्नलिखित कानूनी बिन्दुओं पर पेश है:–

1. यह कि हुक्म अदालत का फैसला गैर कानूनी है जो दोबारा गौर मिसल के है।
2. यह कि अपीलांट की पत्नी द्वारा चक 1 जे बड़ा मुरब्बा नम्बर 31 व 34 में 4.5 बीघा रकबा खरीद किया हुआ है मगर इसका विवाद होने के वजह से इस रकबा पर सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा रकबा रिसीवर कर दिया था जिसके खिलाफ अपीलांट की पत्नी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की थी जिसमें रिसीवर का आदेश समाप्त कर दिया था जिस पर अपीलांट की पत्नी ने सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तारीख पेशी 20.04.2024 मुकरर्र है। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

3. यह कि विवादग्रस्त रकबा पर गगड़ सिंह व्यक्ति द्वारा नाजायज कब्जा करके सरसों की बिजान्द कर ली थी तथा जबरन सरसों काटने की फिराक में था जिस पर अपीलांट ने जिलाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें जिलाधीश द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी थी मगर रिपोर्ट नहीं आयी तथा इसी बीच में उप जिलाधीश के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया मगर उसकी भी रिपोर्ट नहीं आयी। इसी बीच में अपीलांट को बिना सूचना दिए ही जमीन की निलामी कर दी गयी जिसमें किसी बाहर के व्यक्ति को दिखाकर 49500/–रूपये में हरदीप सिंह पुत्र मुकन्द सिंह के नाम व्यक्ति को खड़ा करके उसके नाम निलामी कर दी गयी, यदि अपीलांट को सुनकर निलामी की जाती तो 2,00,000/–रूपये की सरसों थी जब जिलाधीश द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी तो बिना रिपोर्ट के ही निलामी कर दी गयी। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि नायब तहसीलदार द्वारा जान–बूझकर पूर्व में भी निलामी की गयी थी उसमें भी सूचना नहीं दी गयी जबकि नियम के तहत अप्रेल में ही निलामी की जानी चाहिए थी जबकि अप्रेल में निलामी नहीं की जाकर नाजायज व्यक्ति को फायदा उठाने के गर्ज से निलामी की गयी है।
5. यह कि अन्य वजुवाद बरवक्त बहस पेश कए जावेगे।

लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का आदेश दिनांक 20.03.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को सुनकर रकबा की निलामी दोबारा की जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की पत्नी द्वारा चक 1 जे बड़ा मुरब्बा नम्बर 31 व 34 में 4.5 बीघा रकबा खरीद किया हुआ है मगर इसका विवाद होने के वजह से इस रकबा पर सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेशों द्वारा रकबा रिसीवर कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांट की पत्नी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की थी जिसमें रिसीवर का आदेश समाप्त कर दिया गया। राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा सहायक जिलाधीश का आदेश निरस्त किये जाने पर अपीलांट की पत्नी ने सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तारीख पेशी 20.04.2024 मुकरर्र थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2024 को उक्त रकबा की निलामी कर दी गयी। जिसमें अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस के ही रकबा निलाम कर दिया। उक्त विवादित रकबा पर अपीलांट की सरसों की 3.5 बीघा रकबा काश्त की हुई थी, अगर अपीलांट को बुलाया जाता तो बोली कम से कम 2,00,000/– रूपये होती जबकि इस रकबा की बोली 49500/–रूपये की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का आदेश दिनांक 20.03.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को सुनकर रकबा की निलामी दोबारा करवाई जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य/रिकॉर्ड पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की उक्त रकबा अपीलांट के कब्जा काश्त में हो ना ही अपीलांट द्वारा किसी न्यायालय का यह आदेश पेश किया हो कि उक्त विवादित रकबा को रिसीवर किया गया। अपीलांट के कहने मात्र से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त रकबा की बोली मेरे द्वारा 2,00,000/– दी जाती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बोली कम करवाई गई हैं। अतः अपील अपीलांट बिना आधार, बिना सबूत के पेश की गयी होने के कारण निरस्त फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट द्वारा उक्त विवादित रकबा के सम्बन्ध में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे प्रमाणित हो कि अपीलांट द्वारा नाजायज काश्त की गई है या वह उक्त विवादित रकबा को खरीद किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा मुकदमा प्रकरण संख्या 135/2024 अनवानी स्टेट बनाम महेन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 20.03.2024 में राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत विधिवत् प्रकिया अपनाई जाकर निलामी की कार्यवाही की गई है वह विधिसम्मत् है क्योंकि अधिनस्थ न्यायलाय के मुकदमा प्रकरण संख्या 135/2024 अनवानी स्टेट बनाम महेन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 20.03.2024 में उपलब्ध जमाबन्दी सम्मत् 2073–2076 में उक्त विवादित रकबा रकबाराज है, जिसकी निलामी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायलय सक्ष्म है। अतः अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)